

## समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

### दिनांक 22.09.2014 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>आर०टी०पी०एस० की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत सप्ताह में दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, सिंहवाड़ा, जाले, केवटी, मनीगाछी, तारडीह, अलीनगर, घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वरस्थान प्रखण्डों से छापामारी/निरीक्षण का प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश नोडल पदाधिकारी को दिया गया।</p> <p>Synchronization की समीक्षा के क्रम में जिला आई०टी० प्रबंधक द्वारा बताया गया कि बहेड़ी प्रखंड में 57 प्रतिशत तथा बिरौल अनुमंडल में 87 प्रतिशत Synchronization किया गया। पटना में बी०पी०एस०एम० का सर्वर खराब रहने के कारण पूरे राज्य में विगत कई दिनों से Synchronization का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया गया कि विभाग से कार्यालय अवधि में सर्वर की क्षमता बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जाय तथा सभी प्रखण्डों के आई०टी० प्रबंधकों को कार्यालय अवधि के बाद जब भी लिंक मिलता है, Synchronization कार्य करने का निदेश दिया जाय।</p> <p>वर्तमान सप्ताह में 210 अपील दायर की गयी है, इसे मिलाकर कुल दायर अपीलों की संख्या 18974 हो गयी है। परन्तु इसके निष्पादन की स्थिति शून्य है। सभी अपीलीय प्राधिकार से इस संबंध में पत्राचार करने का निदेश नोडल पदाधिकारी को दिया गया।</p> <p>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि जिला से प्रखंडों को ई-मेल से भेजे गये पत्र को वहाँ के आई०टी० सहायक डाउनलोड कर संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष नहीं रखते हैं, जिसके कारण पत्रों की जानकारी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को नहीं हो पाती है। जिला आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों के आई०टी० सहायकों को प्रत्येक दिन कम से कम दो बार ई-मेल डाउन लोड कर संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखने का निदेश देने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने हेतु पत्राचार करें।</p>	नोडल पदाधिकारी / जिला आई०टी० प्रबंधक
2.	<p>जिले में आयी आकस्मिक बाढ़ का पानी अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण महामारी फैलने की आशंका है। सिविल सर्जन, दरभंगा एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा को सभी एहतियाती कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में किरतपुर में 8, घनश्यामपुर में 7 तथा हनुमाननगर प्रखंड में 3 अतिरिक्त चापाकल लगाये गये हैं, इसके अतिरिक्त विधायक मद से अनुशंसित चापाकल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाये जा रहे हैं और लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुल 21084 चापाकलों के पानी को ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्ध किया गया है।</p> <p>सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को अविलंब मोटरबुल बनाने का निदेश दिया गया।</p>	सिविल सर्जन, दरभंगा / जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा / ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा / अन्य संबंधित पदाधिकारी
3.	<p>महत्वपूर्ण सी०डब्लू०जे०सी० वादों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 17932/2013 बृज बिहारी प्रसाद बनाम राज्य, जो अंचलाधिकारी, दरभंगा सदर से संबंधित है, में दिनांक 20.09.2014 के पूर्व पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने का निदेश है। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले की तथ्य विवरणी अनुमोदित हो चुकी है एवं प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्राधिकृत भी किया जा चुका है। उन्हें संबंधित पदाधिकारी से ओथ नम्बर प्राप्त करने का निदेश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14187/2014 भरत राम बनाम राज्य, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी से संबंधित है, में दिनांक 09.09.2014 के पूर्व प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 162/2013 मनीष कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, जो पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित है, में दिनांक 17.09.2014 के पूर्व प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने का निदेश है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p>	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा / प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा / जिला शिक्ष पदाधिकारी, दरभंगा

4.

जिला विधि शाखा के कार्यो की समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 16 एम0जे0सी0 लंबित है। एम0जे0सी0 संख्या 5938/2011 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य के मामले में जिला स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

एम0जे0सी0 मीर मोहम्मद ईशा बनाम राज्य सरकार के मामले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एन0एच0आई0, दरभंगा के स्तर से सी0डब्लू0जे0सी0 में पारित आदेश का अनुपालन किया जाना है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा तथ्य विवरणी तैयार कर संबंधित अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने तथा ओथ नं0 उपलब्ध कराने हेतु स्मारित करने का निदेश दिया गया।

आयुक्त, दरभंगा नगर निगम से संबंधित ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 बनाम बिहार सरकार के मामले में शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नगर आयुक्त को स्मारित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।

शमशुल होदा बनाम राज्य सरकार के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कारणपृच्छा दाखिल की जा चुकी है। उन्हें ओथ नम्बर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

एम0जे0सी0 महादेव झा बनाम राज्य, के मामले में खान निरीक्षक, दरभंगा से संशोधित तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है। अंचल अधिकारी, गौड़ा बौराम को इस मामले में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, गौड़ा बौराम को इस मामले में अविलम्ब कारण पृच्छा दाखिल करवाने तथा ओथ नम्बर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

एम0जे0सी0 शिशिर कुमार झा का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है, लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन धार्मिक न्यास परिषद को करना है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा इस वाद में क्या कार्रवाई की गई है, उनसे प्रतिवेदन की मांग करें।

एम0जे0सी0 शिवजी प्रसाद सिंह बनाम राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्हें इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।

एम0जे0सी0 पिकी देवी बनाम राज्य का मामला आँगनवाड़ी से संबंधित है, इस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल को कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बिरौल प्रखंड इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करें एवं ओथ नम्बर उपलब्ध करावें।

एम0जे0सी0 बबीता देवी बनाम राज्य का मामला आँगनवाड़ी सेविका के नियोजन से संबंधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अलीनगर को प्राधिकृत किया जा चुका वरीय प्रभारी पदाधिकारी, अलीनगर प्रखंड इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करें एवं ओथ नम्बर उपलब्ध करावें।

एम0जे0सी0 मंगली देवी बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। बिरौल प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को इस मामले की तथ्य विवरणी अविलम्ब उपलब्ध करवाने का निदेश दिया गया।

एम0जे0सी0 अन्नपूर्णा देवी बनाम बिहार राज्य का मामला अंचलाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। इस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है, जिसे अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया है।

एम0जे0सी0 प्रदीप कुमार झा बनाम राज्य जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी से संबंधित है, में वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बहेड़ी प्रखंड को शीघ्र तथ्य विवरणी समर्पित करवाने का निदेश दिया गया।

एम0जे0सी0 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य, जो निलाम पत्र पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है, में शीघ्र तथ्य विवरणी समर्पित करवाने का निदेश उक्त प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

एम0जे0सी0 मनोज कुमार मंडल बनाम बिहार राज्य का मामला जिला विधि शाखा से संबंधित है, जिसकी तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनार्थ उपस्थापित की गयी है।

एम0जे0सी0 3956/2011 कांति देवी बनाम बिहार राज्य का मामला संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा से संबंधित है, इस मामले में जिलाधिकारी उत्तरवादी नहीं है। दिनांक 18.09.2014 के पूर्व कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा से पत्राचार किया जा चुका है।

एम0जे0सी0 रमेश राम बनाम अन्य, जो स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा से संबंधित है, में तथ्य विवरणी अभी तक अप्राप्त है। शीघ्र तथ्य विवरणी समर्पित करने हेतु स्थापना उप समाहर्ता को स्मारित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, दरभंगा को दिया गया।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
दरभंगा/आयुक्त, दरभंगा  
नगर निगम/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/  
स्थापना उप समाहर्ता,  
दरभंगा/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी

<p>विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि गत माह का विद्युत विपत्र तैयार हो गया है एवं इसका वितरण किया जा रहा है। अभी तक लगभग 150 लाख रुपये की वसूली हुई है, 7 प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं 122 विद्युत सम्बंध विच्छेद किया गया है। गत माह में जले हुये ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या शून्य है, परन्तु इस माह में दो ट्रान्सफॉर्मर जले हैं। उन्हें लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि उनके प्रमंडल का भी गत माह का विद्युत विपत्र तैयार हो गया है एवं इसका वितरण किया जा रहा है अभी तक 55 लाख रुपये की वसूली हुई है, 7 प्राथमिकी एवं 62 विद्युत सम्बंधन विच्छेद की कार्रवाई की गयी है। उन्हें भी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों द्वारा अनुशसित योजनाओं में से 276 ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा चुके हैं। विद्युत पोल के अनुपलब्धता के कारण ट्रान्सफॉर्मर लगाये जाने का कार्य बाधित हुआ है। पोल उपलब्ध होते ही 26 ट्रान्सफॉर्मर और लगाये जायेंगे। वर्तमान में 5 जगहों पर विद्युत पोल उपलब्ध हैं, वहाँ ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा रहे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत भार कम करने हेतु 32 स्थानों पर अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर लगाये गए हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि ट्रान्सफॉर्मर लगाये जाने के कार्य में तेजी लाते हुए दिये गये लक्ष्य के अनुरूप ट्रान्सफॉर्मर लगवाना सुनिश्चित करें।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, शहरी/ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल</p>
<p>6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की समीक्षा के कम में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में उपलब्ध करायी गयी राशि में से 19 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है तथा 21 करोड़ का भेजा जाना शेष है। वर्ष 2013-14 में उपलब्ध करायी गयी राशि का मात्र 2-3 प्रखंडों से ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है, उन्हें निदेश दिया गया कि प्रखंडों से सम्पर्क कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुये इसे विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि नये पेंशन मामलों की शत प्रतिशत स्वीकृति सुनिश्चित करावें तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन प्राप्तकर्ताओं का सत्यापन कराते हुये उसकी सूची संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवा कर उनका पेंशन भुगतान सुनिश्चित करावें।</p>	<p>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा</p>
<p>7. खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के कम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो प्रखंडों में अगस्त 2014 के खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ हुआ है, 12 प्रखंडों में जुलाई 2014 का तथा 5 प्रखंडों में जून 2014 का खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्हें खाद्यान्न वितरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि 30 सितम्बर 2014 तक शत प्रतिशत सी0एम0आर0 मिलों से प्राप्त कर लेना है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर उपरोक्त निदेश के अनुपालन करने हेतु पत्र जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निर्गत करें।</p>	<p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा</p>
<p>8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अगली बैठक में एजेन्सीवार लंबित डी0सी0 विपत्रों की सूची उपस्थापित करें ताकि संबंधित एजेन्सियों को डी0सी0 विपत्र समर्पित करने का निदेश दिया जा सके। एम0एस0डी0पी0 कार्यान्वित करने वाले सभी एजेन्सियों को निदेशित किया गया कि वे लंबित डी0सी0 विपत्र अविलंब समर्पित कर दें।</p>	<p>जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा</p>
<p>9. दिनांक 24.09.2014 को विकास आयुक्त, बिहार द्वारा विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। संबंधित विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे आज संध्या तक इसका प्रतिवेदन समर्पित कर दें।</p>	<p>संबंधित पदाधिकारी</p>
<p>10. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के समीक्षा के कम में निदेशक, ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि द्वितीय चरण में कुल 56828 आपत्तियों प्राप्त हुई हैं, जिसमें से अभी तक 17251 की इट्री हुई है। दरभंगा नगर निगम के एक भी आपत्ति की इट्री नहीं हो पायी है, क्योंकि उनका कोई कर्मि इस कार्य में सहयोग के लिये उपस्थित नहीं रहते हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त से सम्पर्क कर उपरोक्त कार्य के लिये कर्मियों की व्यवस्था करने का अनुरोध करें। साथ ही जिन प्रखंडों की प्रगति खराब है, उनके प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी कार्य में तेजी लाने का निदेश दें।</p>	<p>निदेशक, ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, दरभंगा</p>
<p>11. लंबित डी0सी0 विपत्रों की समीक्षा के कम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे लंबित डी0सी0 विपत्र अविलंब समर्पित कर दें अन्यथा जिनके जिम्मे 20 लाख से अधिक राशि का डी0सी0 विपत्र लंबित रहेगा, उनके माह सितम्बर 2014 के वेतन निकासी पर रोक लगायी जायेगी।</p>	<p>संबंधित पदाधिकारी</p>

<p>12. पैक्स चुनाव की तैयारी की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 90 प्रतिशत निर्वाचन सामग्री दरभंगा क्लब में उपलब्ध करा दिया गया है। शेष सामग्री 24.09.14 तक उपलब्ध हो जायेगी।</p> <p>मतपेटिकाओं की व्यवस्था के लिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बात कर ली गयी है। केवटी प्रखंड में मत पेटिका उपलब्ध नहीं थी, उन्हें पर्याप्त संख्या में मत पेटिका उपलब्ध करा दी गयी है।</p> <p>विभिन्न प्रखंडों से बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्रों में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें।</p> <p>जिला सहकारिता पदाधिकारी को मतदान केन्द्रों का भौतिक करवाने तथा उसका अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त पैक्स निर्वाचन से संबंधित जो भी परिवाद पत्र प्राप्त हुये है, उसकी जाँच करवाने एवं जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।</p>	<p>जिला सहकारिता पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा।</p>
<p>13. पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा को स्वीकृत 11 योजनाओं में से मात्र 1 योजना पर तथा कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर को स्वीकृत 28 योजनाओं में से मात्र 2 योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि दोनों कार्य एजेन्सियों को अलिबब सभी योजनाओं में कार्य प्रारंभ करवाने हेतु स्मार-पत्र निर्गत करें।</p>	<p>जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा</p>
<p>14. जिला स्तरीय सभी तकनीकी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि चूंकि अभी कच्ची योजनाओं के कार्यान्वयन पर रोक है, अतः पक्की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लावे।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी तकनीकी पदाधिकारी</p>

३०१—  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या.....2912/सी०, लहेरियासराय, दिनांक 22 सितम्बर, 2014.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/14  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा।

39